न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 23/2018

लटूर पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी ईश्वरपुरा हाल मुकाम वार्ड नं0 15 मांगरोल जिला बारां

.....वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री सुनिल कुमार गौड

दायरा दिनांकः 20.04.2018 निर्णय दिनांक : 06.06.2018

वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झाडवां के वर्तमान खाता संख्या 227 नामांतकरण के खसरा नं0 464/705 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 492 रकबा 1.51 है0 कुल किता 2 रकबा 1.62 है0 आराजी स्थित है उक्त आराजी नामांतकरण नं0 249 से वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है। जिसके पुराने खसरा नं0 328 रकबा 10 बीघा है। वादी को उक्त आराजी दिनांक 28.05.1989 को निःशुल्क आवंटन हुई थी जिस पर वादी को दिनांक 29.11.1989 को दखलनामा जारी कर आराजी पर दखल दे दिया गया था तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अतः ग्राम झाडवां के वर्तमान खाता संख्या 227 नामांतकरण के खसरा नं0 464/705 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 492 रकबा 1.51 है0 कुल किता 2 रकबा 1.62 है0 आराजी वादी के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.04.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार को पैरोकार है एवं प्रतिवादी है कि रिपोर्ट ली गयी तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/केम्प ईश्वरपुरा/2018/27 दिनांक 06.06.2018 में अंकन किया कि ग्राम झाडवां के खाता सख्या 227 खसरा नं0 464/705 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 492 रकबा 1.51 है0 कुल किता 2 रकबा 1.62 है0 भूमि में लटूर पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी ईश्वरपुरा गैरखातेदार दर्ज है। नामान्तकरण नं0 249 से ग्राम झाडवां में उक्त खसरा नं0 पर लटूर पुत्र रतनलाल

जाति बैरवा को गैरखातेदारी दी गई नामान्तकरण में पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी को कब्जा देना बताया है दखलनामा साथ में संलग्न है। मुताबिक गिरदावरी उक्त खसरा नं0 पर गैरखातेदार के नाम से फसल की गिरदावरी दर्ज होती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र में ग्राम झाडवां के वर्तमान खाता संख्या 227 नामांतकरण के खसरा नं0 464/705 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 492 रकबा 1.51 है0 कुल किता 2 रकबा 1.62 है0 आराजी वादी के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार को पैरोकार है ने वादी को उक्त आराजी में खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुशंषा की हैं अतः संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम झाडवां के वर्तमान खाता संख्या 227 नामांतकरण के खसरा नं0 464/705 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 492 रकबा 1.51 है0 कुल किता 2 रकबा 1.62 है0 आराजी के वादी को खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार मांगरोल को वादी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प ईश्वरपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।